कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 62/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.02.2026

थाना महराजगंज पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, 02 गोतस्कर घायल सहित 03 गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, चापड़ व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

घायल अभियुक्त के विरुद्ध गोवध , चोरी एवं अन्य संगीन अपराधों में कुल 05 मुकदमे दर्ज।

घटना/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 13/14.02.2026 की **रात्रि लगभग 02.40 बजे** थाना महराजगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र **के ग्राम अहरिगाँव नहर पुलिया के पास से** अभियुक्तगण उपरोक्त पुनः किसी घटना को अंजाम देने हेतू घुम रहे है प्राप्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक महराजगंज द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल घेराबंदी की गई। स्वयं को घिरता देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा बार-बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, किंतु बदमाशों द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 01 बदमाश के बाएँ पैर व 01 बदमाश के दाएँ पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि 01 अन्य बदमाश मौके से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान-

01. अबु जैद पुत्र समसाद निवासी हुसैनाबाद वार्ड नं10 0 कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 23वर्ष **(दाहिने पैर में गोली लगी है, घायल अभियुक्त)**

02. अनिल नोना पुत्र हरिहर नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष **(बाए पैर में गोली लगी है, घायल अभियुक्त)**

03. अब्दुला पुत्र मो 0शोएब निवासी हुसैनाबाद वार्ड नं07 0 कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 19वर्ष

➡ घायल को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।

बरामदगी का विवरण-

मौके से बरामद की गई—

1. 02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस .315 बोर
4. एक चापड़
5. दो चाकू
6. चार एण्ड्राइड मोबाइल
7. 01 मोटरसाइकिल

पूछताछ/अपराध का तरीका-

➡ पूछताछ के दौरान घायल अभियुक्त ने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुनियोजित रूप से छुट्टा गोवंशो को रात्रि के समय सुनशान निर्जन स्थान पर ले जाकर उनका वध करके उनके माँस को बिक्री करते है।

➡चिन्हित किए गए गोवंश को अभियुक्तगण मौके का लाभ उठाकर पकड़ते थे तथा उसे निर्जन स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से वध करते थे। वध के पश्चात मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ऊँचे दामों पर बिक्री किया जाता था।

➡ वध के उपरान्त शेष अवशेषों को नदी, नालों में फेंककर अथवा जमीन में गाड़कर अभियुक्तगण साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते थे, जिससे अपराध का पता न चल सके।

➡इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण कुछ मामलों में गोवंश को काटकर वाहन के माध्यम से अन्य स्थानों ले जाकर अवैध रूप से बिक्री करते थे। अभियुक्तगण आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के है जिनके विरुद्ध मार पीट चोरी आदि के मुकदमे पंजीकृत है।

➡ पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अभियुक्तगण बार-बार स्थान परिवर्तन कर अपराध कारित करते थे तथा अपनी गतिविधियाँ गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1-अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0– 27/26 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास- (घायल अभियुक्त अनिल नोना पुत्र हरिहर नोना उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 41/18 धारा 147/149/307/332/333/336/353/504 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0– 229/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0– 34/19 धारा 380/411/457 बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0– 22/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0– 27/26 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त अबु जैद पुत्र समसाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0– 22/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0– 27/26 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त अब्दुला पुत्र मो 0शोएब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0– 22/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0– 27/26 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य, व0उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव , उ0नि 0श्री विनय कुमार यादव ,हे0का 0श्रीनरायण यादव , का 0अखिलेश यादव, का 0सत्येन्द्र प्रजापति, का 0अजीत कुमार यादव, का 0जसवन्त यादव , का 0रतिश तिवारी, का0 मनीष कुमार ,का 0अभिषेक पाण्डेय सभी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।